खंड ७

बिहार विधायिका सभा बादवृत

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९ ।

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बि... ... ... ३१

पटनाद ... ... १९४९ (१९४९ की वि सक

मूल्य—६ आ०] ...लाव पर बहुत जारी ।)

कल्याण विभाग में हरिजन की बहाली।

* ७९। श्री चेतू राम : क्या कल्याण विभाग के माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—क्या सरकार का कोई आदेश है कि हरिजन भी कल्याण विभाग सचिवालय में लिये जायँ, यदि 'हाँ,' तो आज तक क्यों एक भी हरिजन इस विभाग में नहीं लिया गया है? क्या सरकार भविष्य में हरिजन उम्मीदवारों के बारे में कोई आदेश जारी करने का विचार करती है?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

'हाँ' योग्य हरिजन, कल्याण विभाग और सचिवालय के अन्य विभागों में लिये जा सकते हैं। एक हरिजन की बहाली भी हुई है। इसके लिए उचित आदेश तो पहले से ही दिये जा चुके हैं। यदि अफसरान उन आदेशों के पालन में ढ़ीले पाये जायँगे तो फिर से चेतावनी दी जायगी अन्यथा विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ सिंह : हरिजन कल्याण विभाग में सिर्फ एक हरिजन की बहाली हुई है उसका क्या कारण है?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : इसका कारण यह है कि योग्य हरिजन नहीं मिले।

श्री जगन्नाथ सिंह : क्या सरकार को तालूम है कि बहुत से ऐसे हरिजन विद्यार्थी मैट्रिक पास करने पर भी नौकरी के लिए इधर उधर मारे फिरते हैं।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : सरकार उनलोगों की तालाशी नहीं करती बल्कि उनलोगों को दरखास्त देनी पड़ती है।

श्री सुन्दर महतो पासी : क्या सरकार को मालूम है कि दरखास्त देने पर भी वे नहीं लिए जाते हैं?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : सरकार को मालूम नहीं है।

श्री सुन्दर महतो पासी : क्या सरकार बतायेगी कि हरिजनों को नौकरी दिलाना हरिजन कल्याण विभाग का एक अंग है?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : लेकिन नौकरी चाहनेवालों को डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा खबर देने के लिए और योग्यतानुसार नौकरी उन्हें दी जायेगी।

श्री भागवत प्रसाद : क्या सरकार को मालूम नहीं है कि उस विभाग के अफसर ढिलाई से काम करते हैं?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : सरकार को नहीं मालूम है।

श्री भागवत प्रसाद : क्या सरकार इस बात की तहकीकात करायेगी कि Sub-Inspectors वगैरह की जितनी बहाली होती है उसमें हरिजनों का नम्बर बहुत कम रहता है?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : यह सवाल नहीं उठ सकता है।

श्री भागवत प्रसाद : यह तो मानी हुई बात है कि जब भी हरिजन के appoint-

---

* मा० सदस्य की अनुपस्थिति में श्री शिवनन्दन राम के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया।

melt के सम्बन्ध में circular निकाला जाता है तो उस पर अमल नहीं किया जाता है ? इससे मालूम होता है कि उस विभाग के सरकारी अफसर ढिलाई करते हैं।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : यह मानी हुई बात है कि इसमें ढिलाई नहीं हो रही है बल्कि strictly follow किया जा रहा है।

सरदार हरिहर सिंह : सिर्फ एक ही हरिजन की बहाली हुई है तो क्या इससे यह नहीं समझा जाता है कि यह अधिकारियों की ढिलाई का निशान है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : इससे यही मालूम होता है कि योग्य की दरखास्तें नहीं आयी हैं।

सरदार हरिहर सिंह : क्या सरकार को इसकी खबर है कि योग्य व्यक्तियों की दरखास्तें फड़वा दी जाती है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : सरकार को इसकी कोई खबर नहीं है और सरकार समझती है कि ऐसा नहीं होता है।

श्री शक्ति कुमार: क्या सरकार समझती है कि इस डिपार्टमेंट में बहाली के लिए सिर्फ चपरासी ही योग्य व्यक्ति था।

माननीय प्रमुख : यह सवाल नहीं उठता है।

श्री शक्ति कुमार : उत्तर में यह कहा गया है कि फिर से चेतावनी दी जायगी तो क्या इसके पहले भी कोई चेतावनी दी गयी है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : सरकार की ओर से एक सरकुलर जारी किया है कि हरिजनों को नौकरी में सहूलियत दी जाय। अगर आपलोगों का यह ख्याल हो कि इसमें अफसरों की ओर से ढिलाई की जा रही है तो सरकार उन्हें फिर से चेतावनी देगी लेकिन सरकार के पास अभी कोई ऐसा मसाला नहीं है जिससे मालूम हो कि कहीं ढिलाई हुई है।

श्री शक्ति कुमार: सरकार की ओर से हरिजनों के लिए कितनी प्रतिशत नौकरियाँ संरक्षित reserved हैं।

माननीय प्रमुख : यह प्रश्न नहीं उठता है : आप डिपार्टमेंट के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री शक्ति कुमार : मैं इसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। जब एक सरकुलर जारी किया गया है कि हरिजनों को नौकरी में सुविधा दी जाय तो यह डिपार्टमेंट इस सरकुलर का कहाँ तक पालन किया है और किस साल यह सरकुलर जारी किया गया।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : इसके लिए आप एक नोटिस दीजिये।

श्री शक्ति कुमार : इसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह पूछता हूँ कि.....

माननीय प्रमुख : शान्ति, शान्ति।

श्री शक्ति कुमार : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से यह कहा गया है कि.....

माननीय प्रमुख : शान्ति-शान्ति । आप मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं । आप को जो पूछना है फिर से पूछिये ।

श्री शक्ति कुमार : हम यह पूछना चाहते हैं कि सरकार की ओर से एक सरकुलर भेजा गया है, तो यह सरकुलर किस साल और किस जगह से जारी किया गया और इसमें यह है कि नहीं कि हरिजन लोग नौकरियों में इतने प्रतिशत लिये जायेंगे ।

माननीय प्रमुख : आप का सवाल सरकुलर के बारे में है और जवाब है कि इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री शक्ति कुमार : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक चपरासी की बहाली हुई है और यदि योग्य हरिजन मिलेंगे तो उनको लिया जायेगा, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि welfare department में एक अफसर की बहाली में एक योग्य हरिजन नहीं लिया गया ।

माननीय प्रमुख : शान्ति-शान्ति । कौन योग्य उम्मीदवार था उसका नाम बतलाइये तो स्पष्ट उत्तर मिलेगा ।

श्री शक्ति कुमार : इसकी बहाली के लिए जबकि नवीं क्लास तक पढ़े लिखे लोग···

माननीय प्रमुख : शान्ति-शान्ति । कौन योग्य उम्मीदवार नहीं लिया गया है, उसका नाम बतलाइये ?

श्री शक्ति कुमार : नाम तो याद नहीं है, सिर्फ दो एक नाम का ख्याल है । एक केशो बाबू जिन्होंने १९५२ में अच्छा काम किया था और जो विकास विभाग से कल्याण विभाग में आना चाहते थे और दरखास्त भी भेजी थी उनके योग्य होते हुए भी वे उसे जगह पर नहीं लिए गये ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : किस पोस्ट के लिए वे उम्मीदवार थे ।

श्री शक्ति कुमार : वेलफेयर अफसर की जगह के लिए ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : यह सवाल तो सचिवालय के लिए है । यहाँ सचिवालय में असिस्टेन्टों की बहाली का सवाल है और दूसरी जगहों के बारे में यहाँ सवाल नहीं पूछा जा सकता है ।

श्री शक्ति कुमार : मैं कल्याण विभाग के बारे में पूछना चाहता हूँ ।

माननीय प्रमुख : शान्ति-शान्ति । यह सवाल सिर्फ सचिवालय के बारे में है ।

श्री पुरुषोत्तम चौहान : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार का कोई ऐसा सरकुलर है कि कल्याण विभाग में सिर्फ हरिजन ही लिए जायेंगे ।

माननीय प्रमुख : यहाँ सिर्फ सचिवालय के बारे में सवाल पूछा जायेगा, समूचे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम चौहान : सचिवालय के कल्याण विभाग में सिर्फ हरिजन लिये जायेंगे, ऐसा सरकुलर क्या सरकार ने निकाला है ?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर : ऐसा सरकुलर नहीं निकाला जा सकता है। सिर्फ हरिजनों को Preference देने के बारे में सरकुलर है।

सरकारी खर्च कम करने की योजना।

८०। श्री यदुवंश सहाय : क्या माननीय अर्थ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) रुपये के अवमूल्यन (Devaluation) के कारण जो आर्थिक संकट पैदा हो गया है उसके निवारण के लिये प्रान्तीय शासन के खर्च की कमी के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विषय पर सरकार के सामने सुझाव रखने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक विशेष कमिटी बनाने की कल्पना सरकार कर रही है ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह:

(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर नाकारात्मक है।

श्री पुरुषोत्तम चौहान : प्रान्तीय शासन के खर्च की कमी के लिए सरकार जिस योजना पर विचार कर रही है, उसकी रुप रेखा सरकार बतलायेगी !

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : अभी जिस योजना पर विचार हो रहा है, उसको सरकार कैसे बतलायेगी।

श्री पुरुषोत्तम चौहान : सवाल था कि इस विषय पर सुझाव रखने के लिए सरकार सरकारी और गैरसरकारी सदस्यों की एक विशेष समिति बनायेगी और जवाब नाकारात्मक है को सरकार इस कमिटी को क्यों नहीं बना रही है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : जिस चीज पर सरकार का कोई निश्चित विचार नहीं हुआ है उसको आपके सामने कैसे रखें। अभी तक सरकार का यह फैसला है कि इस तरह की समिति बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम चौहान : क्या बिहार सरकार को Retrenchment करने की कोई जरुरत नहीं है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : इसके लिए कोई विशेष कमिटी बनाने के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री पुरुषोत्तम चौहान : इस फैसले पर पहुँचने के लिए सरकार के पास क्या वजह है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : सरकार इसकी जरुरत नहीं समझती है।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल : सरकारी खर्च में कमी करने के प्रश्न पर जब सरकार विचार कर रही है तब क्या यह बात सही है कि अतिरिक्त जगहों Additional posts के लिए बिहार सचिवालय में सरकार २, ३१, ३१३ रुपया खर्च कर रही है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : जी, हाँ।